

भीलवाड़ा में बन रहा सियाराम का नकली कपड़ा

Siyaram's fake cloth is being manufactured in Bhilwara प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मुम्बई हाईकोर्ट के आदेश पर एक कपड़ा फैक्ट्री में मारे गए छापे के दौरान देश की ख्यातनाम कंपनी सियाराम सिल्क मिल्स के ट्रेड मार्क का 33051 मीटर नकली सल्वेज मिला ।

भीलवाड़ा Published: March 02, 2021 11:58:22 am

भीलवाड़ा। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मुम्बई हाईकोर्ट के आदेश पर एक कपड़ा फैक्ट्री में मारे गए छापे के दौरान देश की ख्यातनाम कंपनी सियाराम सिल्क मिल्स के ट्रेड मार्क का 33051 मीटर नकली सल्वेज मिला। छापे की बड़ी कार्रवाई से कपड़ा मंडी में हडकम्प मच गया। सियाराम सिल्क मुम्बई ने भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउस समेत कई अन्य फैक्ट्रियों में कंपनी के ट्रेड मार्क का दुरुपयोग होने की भी शिकायत की है। Siyaram's fake cloth is being manufactured in Bhilwara



सियाराम सिल्क मिल्स ने भीलवाड़ा में कंपनी के ट्रेड मार्क के नाम से नकली कपड़ा बनने की आशंका जताते हुए प्रकरण मुम्बई हाईकोर्ट में प्रकरण दर्ज कराया। हाईकोर्ट ने इस पर भीलवाड़ा के अधिवक्ता सुरेश चन्द्र पालीवाल को कमिश्नर नियुक्त किया। पालीवाल कम्पनी के महाप्रबंधक (लीगल) लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेन्द्र पाटिल के साथ पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से सोमवार सुबह मिले और भीलवाड़ा में कई स्थानों पर कंपनी के ट्रेड मार्क से नकली कपड़ा बनने की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक शर्मा ने इस पर मुम्बई हाईकोर्ट के आदेश की पालना में प्रतापनगर थाने का जाप्ता कार्रवाई के लिए दिया।

सियाराम की टीम ने बाद में कार्यवाह थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद की टीम के साथ विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को सूचीबृद्ध किया। यहां पुर रोड स्थित राघव सुल्जकोन प्रा में दोपहर बाद कार्रवाई के दौरान टीम को सियाराम ट्रेड मार्क का ३०५० मीटर तैयार नकली सल्वेज मिला, टीम ने इसे जप्त कर लिया। इसी प्रकार लूम संख्या 24 पर भी ट्रेक मार्क का चढ़ा कपड़ा जब्त किया। यहां फैक्ट्री में अन्य ख्यातनाम कंपनियों के नकली सेल्वेज बनने की भी आशंका व्यक्त की गई।



इसी प्रकार एक अन्य कपड़ा फैक्ट्री की भी टीम ने जांच की।

मुम्बई हाईकोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट

मुम्बई हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर पालीवाल ने बताया कि राघव सुल्जकोन में कंपनी के ट्रेड मार्क का 33051 मीटर नकली सेल्वेज मिला है। फैक्ट्री संचालक कपिल समदानी है। यहां व्यवसायी कपिल तियानी का कपड़ा जॉब वर्क पर बन रहा था। कॉपीराइट एक्ट के तहत यह कानून अपराध है। यहां जब्त शुदा कपड़ा सियाराम कंपनी के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया है। समूची कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के सहयोग से प्रतापनगर थाने की मदद ली गई। समूची कार्रवाई की रिपोर्ट मुम्बई हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। उन्होंने प्रोसेस हाउस व कुछ फैक्ट्रियों में कंपनी के ट्रेड मार्क का दुरुपयोग होने की भी आशंका जताई है। Siyaram's fake cloth is being manufactured in Bhilwara

Source: <u>https://www.patrika.com/bhilwara-news/siyaram-s-fake-cloth-is-being-manufactured-in-bhilwara-6723305/</u>